प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.06.2025

थाना मसूरी पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटर साइकिल व अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 08.06.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सांयकालीन गश्त व चेकिंग के दौरान लूट की योजना बनाने वाले 02 अभियुक्तगण 1.करन पुत्र रिन्कू निवासी जरलिया थाना नौझिल जिला मथुरा हालपता सिल्वर साईन स्कूल के पास रजपुरा थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. विशाल पुत्र रवि निवासी मौ0 मीरा की सराये कस्बा व थाना मारहरा जिला एटा हाल पता किराये का मकान रजापुर थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल व अवैध चाकू सहित डीएमई पुल के नीचे डासना रोड से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना मसूरी पर धारा- 312,313,318(4),345(3) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणो ने बताया कि हम ममेरे भाई है, यह मोटरसाइकिल हमारे चाचा की है जिसका प्रयोग हम दोनों लूट की घटना कारित करने के लिए मोटरसाइकिल की आगे की नम्बर प्लेट हटाकर व पीछे फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर निकले थे कि पुलिस चेकिंग के दौरान पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण -

1.करन पुत्र रिन्कू निवासी जरलिया थाना नौझिल जिला मथुरा हालपता सिलवर साईन स्कूल के पास रजपुरा थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

2. विशाल पुत्र रवि निवासी मौ0 मीरा की सराये कस्बा व थाना मारहरा जिला एटा हाल पता किराये का मकान रजापुर थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

फर्जी नंबर प्लेट लगी एक मोटरसाइकिल व अवैध एक चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

उपरोक्त प्रकरण के सम्बध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित पीली धातु के 02 कान की बाली, 04 कंगन, 01 अंगूठी तथा सफेद धातु के 02 बिछुऐं, 02 पायल व 01 छोटा कुंदा, 02 अंगूठी, 02 कान के बूँदे, 01 पायल का छोटा टुकडा बरामद।

दिनांक 08.06.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से सोने-चाँदी के आभूषण चोरी कर ले जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर मु0अ0स0 161/25 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु त्वरित पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त हासिम पुत्र बाबू निवासी किराये का मकान, हिना कालोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को चोरी किये आभूषण 02 कान की बाली, 04 कंगन, 01 अंगूठी समस्त पीली धातु के तथा 02 बिछुऐं, 02 पायल व 01 छोटा कुंदा, 02 अंगूठी, 02 कान के बूँदे, 01 पायल का छोटा टुकडा समस्त सफेद धातु के सहित गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त हासिम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं पहले इसी कालोनी में किराये के मकान में रहता था और मै इस कालोनी को पूरी तरह जानता था और मुझे नशा करने का शौक है इसलिये मुझे रूपयों की जरूरत थी तो मैं कई दिन से चोरी करने की फिराक में था और उसी फिराक में मैं इस कालोनी में घूम रहा था क्योकिं मुझे इस कालोनी में लोग जानते थे तो कोई मुझे टोकता भी नही था। कल मैने इस मकान को खुला पाकर और मौका देखकर सुबह सवेरे इस मकान से ये सारा सामान चोरी कर लिया था। उसी सामान में से कुछ सामान को पैसो की जल्दी के लिए मैने राह चलते आदमी को बेच दिया था जो पैसे मिले थे वो मैने उसको नशे करने में खर्च कर दिये और बाकी जो सामान आपको मुझे बरामद हुआ है यह सामान बच गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

हासिम पुत्र बाबू नि0 रिजवान मेम्बर के घर के पास, किराये का मकान, हिना कालोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद पूर्व पता- यामीन मुखिया का किराये का मकान, मुखिया कालोनी, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की घटना से संबंधित 02 कान की बाली, 04 कंगन, 01 अंगूठी समस्त पीली धातु के तथा 02 बिछुऐं, 02 पायल व 01 छोटा कुंदा, 02 अंगूठी, 02 कान के बूँदे, 01 पायल का छोटा टुकडा समस्त सफेद धातु के बरामद।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 08.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त शिवम पुत्र रवीन्दर निवासी ई-82/135 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र सेवाधाम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं जनता में अपना रौब व भय दिखाने के लिये तमंचा अपने साथ रखता हूँ। मैं कहीं जा रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवम पुत्र रवीन्दर निवासी ई-82/135 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

एक देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.06.2025 को थाना वेव सिटी पर वादिया के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त अरशद पुत्र वाजिद अली निवासी कल्लू गढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना। जिसके सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर घटना पुरानी होने के कारण भादवि में धारा 376/419 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.06.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित नामजद आरोपी अरशद पुत्र वाजिद अली निवासी कल्लू गढ़ी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अरशद उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं कॉलेज गाजियाबाद में बीए में पढ़ाई कर रहा था और यह लडकी भी मेरे कालेज में पढती थी और एक दिन मेरी इस लडकी से दोस्ती हो गयी थी, मैने इस लडकी को झूठा शादी का झाँसा दिया और इसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

अरशद पुत्र वाजिद अली निवासी कल्लू गाढ़ी डासना थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा महिला से मोबाइल फोन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 07.06.2025 को थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर पर मोबाइल फोन छीनने के सम्बन्ध में धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत एक जीरो एफआईआर पंजीकृत हुई। जिसकी विवेचना थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा शुरू की गई। विवेचनात्मक क्रम में सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर ई-रिक्शा चालक सोनू कश्यप पुत्र सोहन पाल कश्यप हाल निवासी किराए के मकान में गांव मकनपुर थाना इंदिरापुरम मूल पता गांव सिमोरा थाना खुदागंज जनपद शाहजहापुर उम्र करीब 20 वर्ष द्वारा घटना में मोबाइल फोन चोरी करना पाया गया। जिसके आधार पर पंजीकृत अभियोग की धारा 304(2) बीएनएस का लोप कर धारा 303(2) बीएनएस के

अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 08/09.06.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त सोनू कश्यप पुत्र सोहन पाल कश्यप उपरोक्त को चोरी के 02 मोबाइल फोन सहित सेन्ट्रल पार्क के पास खण्डर बिल्डिंग के सामने सर्विस रोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त सोनू कश्यप पुत्र सोहन पाल कश्यप उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने दिनांक 02.06.2025 की शाम को एक महिला को शिप्रा मॉल इन्दिरापुरम से रिक्शा में बैठाया और उसकी भाषा न समझने के कारण उसे यू0पी0 गेट होते हुए कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन पर छोड़कर चला गया परन्तु अभियुक्त ने महिला के पास मोबाइल फोन देख लिये और दोबारा कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन आकर उसके पर्स से चुरा लिया। इन बरामद मोबाइल फोन में से एक फोन आईफोन एप्पल कंपनी का ग्रे कलर का तथा दूसरा फोन स्काई ब्लू कलर का इनफिक्स कंपनी का है। आज वह इन मोबाइल फोन को आनंद विहार रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू कश्यप पुत्र सोहन पाल कश्यप निवासी हाल किराए के मकान में गांव मकनपुर थाना इंदिरापुरम मूल पता गांव सिमोरा थाना खुदागंज जनपद शाहजहापुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू कश्यप पुत्र सोहन पाल कश्यप उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व दिल्ली में आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।